आपराधिक न्यायालय (क्रिमिनल कोर्ट) में उत्तरजीवी (सर्वाइवर): अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उत्तर

अप्रवासी (इमिग्रेंट) उत्तरजीवी (सर्वाइवर) घरेलू हिंसा को संबोधित करने की संचालन प्रणाली की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण पाते है। अमेरिका में नये होने के कारण, कम अनुभव और जानकारी सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी सेवाएं की कमी, भाषा की पहुँच के कारण संस्था को प्रत्युत्तर देना उत्तरजीवी (सर्वाइवर) के लिए हतोत्साहित हो सकती है । मैत्री में, हम कानूनी रूप से उन उत्तरजीवी (सर्वाइवर) की मदद करते है जो कानूनी व्यवस्था से गुजर रहे हैं, चाहे वे इच्छुक प्रतिभागी बन जाये या खुद को इसमें फंसा हुआ पाये।यह सच है, पुलिस या आपराधिक न्याय प्रणाली में दूसरों की तुलना में।हमने प्रो बोनो प्रोजेक्ट(Pro Bono Project) के साथ मिल कर उत्तरजीवी (सर्वाइवर) के आपराधिक न्यायालय (क्रिमिनल कोर्ट) में अक्सर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों का दस्तावेज तैयार किया है। निम्नलिखित अनुभाग विशुद्ध रूप से सूचनात्मक है। किसी भी तरह से कानूनी सलाह नहीं है।

हम स्वीकार करते हैं कि:

- हर व्यक्ति को न्यायालय प्रणाली को शामिल करने के लिए खुद को चुनने का अधिकार है।
- भावनात्मक, वित्तीय,भौतिक, अप्रवासी (इमिग्रेंट) संबंधी, सांस्कृतिक अनुकूल और अन्य अदालती प्रक्रिया में भाग लेने के रास्ते में अवरोधक बाधाएँ मौजूद है।
- उत्तरजीवी को अपनी पसंद का औचित्य, एडवोकेट को साबित करने की जरूरत नहीं है।
- व्यक्तियों को सशक्तिकरण सूचित विकल्प के लिए जानकारी एक उपकरण है।
  निम्नलिखित प्रश्न मैत्री तक पहुँचने वालों के अनुभवों से उपजी हैं और उसकी विस्तृत सूची नहीं है जो एडवोकेट अक्सर क्लाइंट्स से सुनते हैं।

*** मैत्री और सिलिकॉन वैली के प्रो बोनो प्रोजेक्ट (Pro Bono Project) ने उत्तरजीवियों (सर्वाइवरस) के लिए इन सवालों और जवाब को सूचना के तौर पर एक साथ रखा ताकि आपराधिक न्याय व्यवस्था में गवाही के पहले उत्तरजीवी (सर्वाइवर) इन्हें देख सके.**

1.क्या मुझे गवाही देनी है? अगर मैं नहीं करूं तो क्या होगा?

आपको गवाही देने की आवश्यकता हो सकती है। कृपया असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (ए.डी.ए.) से बात करें जो आपका मुकदमा संभाल रहे है। उन्हें यह बताने के लिए सुनिश्चित करें की आप गवाही देने के लिए असंतुस्ट/ भयभीत/ अनिच्छुक है। जब आपका मुकदमा आगे बढ़ेगा तो वे इस बात को ध्यान में रख सकते है।

2. क्या दोषी पाए जाने पर मेरे जीवनसाथी/ साथी को निर्वासित किया जाएगा?

अप्रवासी (इमिग्रेंट) एक जटिल मुद्दा है और शायद ही कभी हां / ना में कोई जवाब होता है। अप्रवासी (इमिग्रेंट) के लिए किसी भी तरह का अपराध करने पर निर्वासन चरम परिणाम है। आपका जीवनसाथी/ साथी निर्वासित किया जाएगा या नहीं - ये अपराध की प्रकृति, न्यायाधीश की धारणा, और अप्रवासन न्यायाधीश (इमिग्रेंट जज) के आगे की प्रक्रिया पर निर्भर है। आव्रजन (इमिग्रेसन) परिणाम सम्बंधित विशिष्ट प्रश्नों के लिए आपको एक वकील (अटॉर्नी) से बात करनी चाहिए।.

3. क्या मेरा जीवनसाथी/ साथी जेल जा रहा है?

यह सजा की प्रकृति पर निर्भर करता है मुकदमा के तथ्यों के आधार पर जुमार्ना से ले कर परिवीक्षा (प्रोबेशन) या कैद तक की सजा हो सकती है।

4. अगर न्यायाधीश मुझ पर विश्वास नहीं करता है तो क्या होगा?

दोषी ठहराने के लिए और भी दूसरा सबूत उपलब्ध हो सकते है।

5. क्या मुझे दुर्व्यवहारी (अबयुज़र) के सामने गवाही देना पड़ेगा?

वर्तमान समय में सभी गवाह खुली अदालत में ही गवाही देते है। जिसका मतलब है कि दूसरा पक्ष भी मौजूद हो सकता है। आप को अपने साथ एक एडवोकेट/डोमेस्टिक वायलेंस एडवोकेट को कोर्ट की सुनवाई के समय या आप जब भी कोर्ट में है, अपने साथ ले जाने की अनुमति है। गवाह को डराना एक अपराध है, और आप दूसरी तरफ की किसी भी तरह की धमकी की रिपोर्ट दर्ज कर सकते है। COVID- महामारी के दौरान, कुछ न्यायालय में उपस्थित रिमोट हो सकती है और शायद जरूरी नहीं है कि आपको दुर्व्यवहारी(अबु**यु**ज़र) के सामने उपस्थित होना पड़े लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि दूसरा पक्ष भी उसी फ़ोन कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंस पर हो सकता है।

6.क्या मैं कोर्ट को यह कह सकता/सकती हूँ की दुर्व्यवहारी (अबयुज़र) को सजा न दें?

एक अपराध के शिकार के रूप में डी.ए. (डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी) के सामने आप घटना के बारे में अपनी भावनाओं और प्रतिवादी को क्या होते देखना चाहते हैं व्यक्त कर सकते है। इसका मतलब यह नहीं है कि चार्ज ड्राप हो जाएगा। यह डी.ए.(डिस्ट्रीक एटोर्नी) के विवेक पर है। [जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक न्यायाधीश अपराध की गंभीरता के आधार पर सजा की श्रेणी निर्धारित सकता/सकती है]

7.मैं दुर्व्यवहारी(अबयुज़र) को एक मौका देना चाहती हूँ। क्या मैं ऐसा जज/कोर्ट को बोल सकती हूँ?

एक अपराध के शिकार के रूप में डी.ए (डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी) के सामने आप घटना के बारे में अपनी भावनाओं और प्रतिवादी को क्या होते देखना चाहते हैं व्यक्त कर सकते है। इसका मतलब यह नहीं है कि चार्ज ड्रॉप हो जाएगा। यह डी.ए.(डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी) के विवेक पर है। यदि दुर्व्यवहारी (अब**यु**ज़र) को दोषी पाया जाता है तो उत्तरजीवी (सर्वाइवर) को पीड़ित प्रभाव बयान का अवसर(मौका) मिलता है। यह डी.ए (डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी) और न्यायाधीश को प्रदान किया गया लिखित बयान हो सकता है,या एक भाषण, या

उत्तरजीवी (सर्वाइवर) द्वारा पढ़ा गया बयान हो सकता है।

8. मैंने पुलिस को फोन नहीं किया। मुझे सुरक्षा आदेश नहीं चाहिए। मैं क्या कर सकता/सकती हूँ?

कोई भी अगर वे घटना को नोटिस/सुनते या देखते है- 911/ पुलिस को घरेलू हिंसा की रिपोर्ट के लिए कॉल कर सकते है जिसमें पड़ोसी या अन्य व्यक्ति शामिल है। जैसे ही पुलिस घटनास्थल पर पहुँचती है अक्सर इमरजेंसी प्रोटेक्टिव औरडर (Emergency Protective Order –EPRO) प्रदान किया जाता है। यदि आप एक सुरक्षात्मक आदेश नहीं चाहते हैं तो आप पुलिस अधिकारी को बता सकते हैं। दुर्व्यवहारी (अब**यु**ज़) करने वाले को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत अक्सर सम्बन्ध नहीं रखने का आदेश (नो कांटेक्ट ऑर्डर-No Contact Order) देती है। अदालत की अनुमति से सम्बन्ध नहीं बनाने के आदेश को शांतिपूर्ण संपर्क में बदलने की प्रक्रिया है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पढ़े:
https://www.scscourt.org/self_help/restraining/crim_ro.shtml

9. मुझे अपने जीवनसाथी/साथी के खिलाफ गवाही देने के लिए कहा जाता है। क्या मुझे वकील की आवश्यकता है?

नहीं, लेकिन आप हमेशा कानूनी सलाह ले सकते है ।

10. अदालती प्रक्रिया में कितना समय लगेगा?
यह प्रत्येक मामले के लिए अलग-अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है। समय की लम्बाई का बेहतर विचार प्राप्त करने के लिए डी.ए (डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी) कार्यालय के साथ संपर्क करें।

11. यदि चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस / डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड चाइल्ड सर्विस (DFCSS) **कॉल करते है तो मुझे क्या करना चाहिए?**

जब पुलिस रिपोर्ट ऐसी घटना के लिए उत्पन्न की जाती है जहाँ बच्चे उपस्थित होते हैं और/ या शामिल होते हैं। एक रिपोर्ट चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस / डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड चाइल्ड सर्विस को भेजी जाती है। घटना की परिस्थितियों के आधार पर, चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस / डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड चाइल्ड सर्विस बच्चे की सुरक्षा, जोखिम और भलाई का आकलन करने के लिए उत्तरजीवी (सर्वाइवर) से संपर्क सकते हैं। सहायता के लिए पीड़िता एडवोकेट से सम्पर्क कर सकते है।

12. अगर दुर्व्यवहारी (अबयुज़र) को डिपोर्ट किया जाता है या वो बच्चे उसके साथ ले कर जा रहा/ रही हो तो मैं क्या करूं?

बाल हिरासत पारिवारिक कानून का मामला है यह इसके लिए अप्रवासी (इमिग्रेंट) के स्थिति से सीधे जुड़ा नहीं है। सटीक उत्तर के लिए अपने मुक़दमा के विवरण के साथ संसाधन पृष्ठ में उल्लेखित फैमिली लॉ अटॉर्नी (वकील) से सम्पर्क करें।

13. यदि दुर्व्यवहारी(अबयुज़र) को डायवसर्न(दिक्परिवर्तन) दिया जाता है तो इसका क्या मतलब है ? (for Santa Clara County)

डायवसर्न (दिक्परिवर्तन) एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें अपराधी को परिवीक्षा (आमतौर पर) रखा जाता है और पुनर्वास में मदद करने के लिए उनको विभिन्न कक्षाओं में भेजा जाता है। यदि डायवसर्न (दिक्परिवर्तन) को गहराई से जानने के लिए कोई प्रश्न है तो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कार्यालय से बात करें।

14. क्या मेरे बच्चे/ बच्चों को गवाही देने के लिए कहा जाएगा?
ज्यादातर मामलों में, बच्चे/ बच्चों को, आमतौर पर उनकी उम्र के ध्यान में रखते हुए, गवाही नहीं देनी होगी।

15. अगर मैं अदालत नहीं आता/आती तो क्या होगा ?

यदि अदालत में आने के लिए उपस्थित-पत्र दिया गया है और आप प्रकट नहीं होते हैं तो आपको अदालत में आने के लिये यह एक वारंट जारी होना संभव है। यदि अदालत ने आने के लिए उपस्थित-पत्र जारी किया है तो अवश्य हाजिर होना होगा।

16. मेरे आव्रजन स्थिति(इमीग्रेशन स्टेटस) का क्या होगा ?

आव्रजन (इमिग्रेसन) एक जटिल प्रक्रिया है और शायद ही कोई आसान जवाब है हालांकि, घरेलू हिंसा अपराध अभियान में सहयोग के आधार पर आव्रजन(इमिग्रेसन) राहत के लिये आवेदन करने के पात्र है। अधिक जानकारी के लिए, हमारे संसाधन पृष्ठ पर वर्णित संगठनों से सम्पर्क करें।

17. पारिवारिक न्यायालय का कहना है कि बाल मुलाक़ात हो सकती है। आपराधिक अदालत ने एक सुरक्षा आदेश दिया है, क्या यह सी.पी.ओ को संशोधित करना मेरी जिम्मेदारी है?

नहीं, लेकिन सी.पी.ओ (CPO-Criminal Protective Order Modification) को मुलाकात की अनुमति देने के लिए संशोधित करने की आवश्यकता होगी। कोई भी पार्टी इस बदलाव के लिये मांग कर सकती है।

18. अगर मैं दुर्व्यवहारी (अबुज़र) के खिलाफ या न गवाही दूँ तो क्या बच्चों की कस्टडी खो सकता/सकती हूँ ?

कस्टडी फैमिली कोर्ट द्वारा निर्धारित की जाती है। आपराधिक अदालत (क्रिमिनल कोर्ट) चाइल्ड कस्टडी मामलों पर आदेश नहीं देती है। कृपया एक विस्तृत चर्चा के लिए एक वकील से चर्चा करें या ये समझे की आपराधिक मामले में आपकी भागीदारी सीधे या परोक्ष रूप से पारिवारिक न्यायालय में आपके कस्टडी मामले को प्रभावित कर सकती है।

19. यदि दुर्व्यवहारी (अबयुज़र) करने वाला दोषी पाया जाता है, तो क्या बच्चे/ बच्चों दूसरे माता/पिता को देख पाएंगे?

आम तौर पर, दोषी पाए जाने पर भी बच्चे अपने माता-पिता को मिल सकते हैं। हालांकि, अगर अदालत को लगे की दोषी पाए गए माता/पिता के साथ बच्चे सुरक्षित नहीं हो सकते हैं,तो अदालत अन्य आदेश दे सकती है। [अदालत कुछ मामलों में बच्चे को खतरे या संभावित खतरे के आधार पर हिरासत और मुलाक़ात को सीमित कर सकती है]

20. यदि दुर्व्यवहारी(अबयुज़र) दोषी नहीं पाया जाता है, तो क्या कोई दूसरा तरीका है जिससे मैं अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकता/कर सकती हूँ ?

एक उत्तरजीवी (सर्वाइवर) किसी भी समय फैमिली कोर्ट में एक रेस्ट्रेनिंग आर्डर/प्रोटेक्टिव ऑर्डर के लिए अर्ज़ कर सकता/सकती है।

21. "उचित संदेह से परे सबूत" का क्या मतलब है?

एक उचित संदेह से परे सबूत वह मानक है जो आपको एक आपराधिक अदालत में दिखाना होगा। दूसरे शब्दों में, किसी को दोषी पाये जाने के लिए, प्रस्तुत किए गए सबूत को सक्षम होना चाहिए । यह दिखाएं कि दूसरे पक्ष ने उन कृत्यों को किया है जिन्हें आप या डी.ए (डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी) साबित करना चाहते हैं और कोई अन्य उचित निष्कर्ष साक्ष्य से नहीं निकाला जा सकता है। अधिक सरल शब्दों में कहें,अगर इसमें कोई संदेह है कि कथित दुर्व्यवहारी(अब**यु**ज़र)) निर्दोष हो सकता है, तो अदालत उन्हें दोषी नहीं ठहराएगी।

22. यह "सबूतों के पूर्वसर्ग" से कैसे अलग है?

सबूतों का पूर्व-निर्धारण परिवार न्यायालय (फैमिली कोर्ट) में उपयोग किए जाने वालों सबूतों का मानक है। दूसरे शब्दों में, यदि न्यायाधीश न्याय के पैमानों को केवल एक पंख (51%) के हिसाब से तराशने का प्रमाण मानता है, तो न्यायाधीश उस साक्ष्य के पक्ष में शासन कर सकता है। [स्पष्टता के लिए, यह "उचित संदेह से परे" की तुलना में बोझ का निम्न स्तर है।पारिवारिक न्यायालय(फैमिली कोर्ट) प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम होता है,यदि यह संभावना से अधिक है कि अन्य पक्ष ने जो कृत्य किया है, उस पर आरोप लगाया गया है]

* यह सूचना सामग्री सिलिकॉन वैली के प्रो बोनो प्रोजेक्ट और (https://www.probonoproject.org/) और मैत्री (www.maitri.org) द्वारा विकसित की गई है। यह सलाह के रूप में सेवा करने के लिए नहीं है।